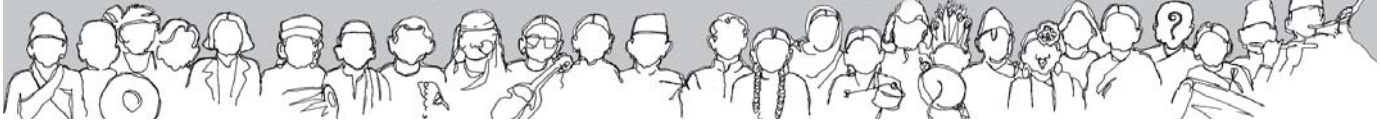

हम लोग कै संविधान समावेशी संविधान

संविधान कै मूलभूत प्रावधान: संक्षिप्त परिचय

१. **नेपाल के संविधान में आत्मसात किहा मूल्य, मान्यता औ सिद्धान्त**

- नेपाल कै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता औ स्वाभिमान का अक्षुण्ण राखब।
- जनता कै सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता औ स्वशासन के अधिकार का आत्मसात करब।
- राष्ट्रहित, लोकतन्त्र औ अग्रगामी परिवर्तन के खातिर भवा ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग औ बलिदान कै स्मरण करत शहीद,लापता औ पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट करब।
- बहुजातीय,बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक औ भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता का आत्मसात कइ कै विविधता के बीच कै एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता औ सद्भाव कै संरक्षण औ प्रवर्धन करब।
- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद औ सब किसिम कै जातीय छुवाछूत कै अन्त्य कइ कै,आर्थिक समानता औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित कइ कै समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण करब।
- जनता कै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष औ सक्षम शन्यायपालिका औ कानूनी राज्य के अवधारणा पर आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहि कै समृद्ध राष्ट्र निर्माण करै कै प्रतिबद्धता।
- संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था के माध्यम के से दीर्घकालिक शान्ति, सुशासन, विकास औ समृद्धि करै कै उद्देश्य।

२. **प्रारम्भिक व्यवस्था**

- सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता से जारी भवा संविधान नेपाल कै मूल कानून होय।
- संविधान से बार्भे वाला कानून बार्भे के हद तक अमान्य होई।
- संविधान कै पालना करब हरेक नागरिक कै कर्तव्य रही।
- नेपाल कै सार्वभौमसत्ता औ राजकीय सत्ता नेपाली जनता में निहित रही।
- बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता में रहा समान आकांक्षा औ नेपाल कै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित औ समृद्धि के प्रति आस्थावान रहि कै, एकता के सूत्र में आबद्ध राष्ट्र के रुप में रही।
- नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य होय।
- नेपाल में बोली जायवाली हरेक मातृभाषा का राष्ट्रभाषा के रुप में मान्यता मिला है।
- देवनागरी लिपि में लिखा जायवाला नेपाली भाषा नेपाल के सरकारी कामकाज कै भाषा होय।
- नेपाली भाषा के साथै प्रदेश अपने प्रदेश के भित्तर बहुसंख्यक जनता के द्वारा बोला जायवाला अन्य राष्ट्रभाषा का प्रदेश के कानून अनुसार प्रदेश के सरकारी कामकाज कै भाषा निर्धारण कइ सकत है।

३. **नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान**

- कवनो नेपाली नागरिक नागरिकता पावै के हक से वञ्चित नाही किहा जाई।
- प्रादेशिक पहिचान सहित कै एकल संघीय नागरिकता कै व्यवस्था किहा है।
- संविधान लागू होत के समय नेपाल कै नागरिकता प्राप्त व्यक्ति नेपाल कै नागरिक होय।
- वंशज के आधार पर नेपाल कै नागरिकता पावै वाला व्यक्ति निज कै बाप वा महतारी के नांव से लैङ्गिक पहिचान सहित कै नागरिकता कै प्रमाणपत्र पइ हैं।
- नागरिक कै परिचय खुली के हिसाब से अभिलेख राखि जाई।
- नेपाली नागरिकताका प्राप्त होय कै अवस्था :-

१. **वंशज**

O संविधान लागू होय से पहिले वंशज कै नागरिकता पावा व्यक्ति,

O जन्म के समय कवनो व्यक्ति कै बाप वा महतारी नेपाल कै नागरिक हैं तो, वइसने अवस्था कै व्यक्ति,

O संविधान लागू होय से पहिले वन कै बाप औ महतारी दूनौ जने जन्म के आधार पर नेपाल कै नागरिकता लिहे हैं, तो वन कै सन्तान बालिग होय के बाद ,

O नेपाल के भित्तर मिला पितृत्व औ मातृत्व कै ठेकाना न रहा नाबालक निज कै बाप या महतारी पता न लागै तक,

O नेपाल कै नागरिक महतारी से नेपाली में जन्म होई कै नेपाली में बसोबास किहा साथे बाप कै पहिचान न भवा व्यक्ति,
लेकिन बाप विदेशी नागरिक ठहरे पर संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता में बदलि जाई,

O विदेशी नागरिक से बिवाह करै वाली नेपाली महिला नागरिक से जन्मा, निज नेपाली में स्थायी बसोबास कइ कै, विदेशी मुलुक कै नागरिकता प्राप्त न किहा अवस्था औ नागरिकता प्राप्त करै के वकत निज कै महतारी औ बाप दुनौ नेपाली नागरिक हैं तौ नेपाल मा जन्मा वइसन व्यक्ति।

२. **अंगिकृत नागरिकता**

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता पाय सकत हैं।

ख. वैवाहिक अंगिकृत

O नेपाली नागरिक से वैवाहिक सम्बन्ध कायम भवा विदेशी महिला संघीय कानून बमोजिम,

O विदेशी नागरिक से बिवाह करै के बाद नेपाली नागरिक से जन्मा , नेपाली में स्थायी बसोबास किहा औ विदेशी नागरिकता प्राप्त न किहा व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम
लेकिन नागरिकता प्राप्त करत के समय महतारी औ बाप दुनौ नेपाली नागरिक हैं तो वंशज के आधार पर नेपाली नागरिकता पाय सकत हैं।

३. **सम्मानार्थ नागरिकता**

O संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान कई सका जाई।

४. **गैर आवासीय नेपाली नागरिकता**

O विदेशी मुलुक कै नागरिकता प्राप्त किहा, सार्क बाहेक के मुलुक में बसोबास किहा, सावकि में वंशज वा जन्म के आधार पर निज या निज के बाप या महतारी, बाबा या दादी कै नेपाल के नागरिक के रुप में में बसोबास औ बाद में विदेशी नागरिकता प्राप्त किहा व्यक्ति।

O संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक औ सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करै के पई हैं।

५. **नेपाल मा जुटि गवा क्षेत्र में बसोबास करै वाले व्यक्ति कै नागरिकता**

O नेपाल में सामिल होय के हिसाब से कवनो क्षेत्र मिले पर, वहि क्षेत्र के भित्तर बसोबास करै वाले व्यक्ति संघीय कानून के अधीन में रहि कै नेपाल कै नागरिक होइ हैं।

४. **समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी**

नेपाल कै संविधान सब का सम्मानपूर्वक जियै पावै कै हक, स्वतन्त्रता कै हक, समानता कै हक, सञ्चार कै हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडित कै हक, यातना विरुद्ध कै हक, निवारक नजरबन्द विरुद्ध कै हक, छुवाछूत औ भेदभाव विरुद्ध कै हक, सम्पत्ति कै हक, धार्मिक स्वतन्त्रता कै हक, सूचना कै हक, गोपनीयता कै हक, शोषण विरुद्ध कै हक, स्वच्छ वातावरण कै हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृति कै हक, रोजगारी कै हक, श्रम कै हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवास कै हक, महिला कै हक, बालबालिका कै हक, दलित कै हक, ज्येष्ठ नागरिक कै हक, सामाजिक न्याय कै हक, सामाजिक सुरक्षा कै हक, उपभोक्ता कै हक, देश निकाला विरुद्ध कै हक, संवैधानिक उपचार कै हक का मौलिक हक के रुप में स्थापित किहा गा है। सथवै, संवैधानिक निकाय के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था किहा गा है।

यकरे साथै महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता रहा व्यक्ति, थारु औ मुस्लिम के सम्बन्ध में अन्य अधिकार देहाय बमोजिम है:

४.१ **महिला के अधिकार सम्बन्ध में**

- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई।
- लैंगिक विभेद अन्त्य किहा जाई।
- महतारी के नांव से नागरिकता प्राप्त करै लगायत कै नागरिकता सम्बन्धी विषय पर नागरिकता के शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख भवा बमोजिम होई।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछे परी महिला लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- महिला का लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक रही।
- महिला का सुरक्षित मातृत्व औ प्रजनन स्वास्थ्य कै हक रही।
- महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन या अन्य कवनो आधार पर शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक या अन्य कवनो किसिम कै हिंसाजन्य कार्य या शोषण नाही किहा जाई औ वइसन काम दण्डनीय रही साथै पीडित का क्षतिपूर्ति मिली।
- राज्य के हरेक निकाय में महिला कै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागीता रही।
- महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी औ सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक विभेद के आधार पर विशेष अवसर पई हैं।
- सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिला में दमपती कै समान हक रही।
- सामाजिक रूप से पाछे परी महिला का समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त औ असहाय अवस्था में रहे, असहाय एकल महिला का समेत सामाजिक सुरक्षा पावै कै हक रही।
- मौलिक हक औ मानव अधिकार कै मूल्य औ मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही।
- असहाय अवस्था में रही एकल महिला का सीप, क्षमता औ योग्यता के आधार पर रोजगारी कै प्राथमिकता देत वन के जीविकोपार्जन खातिर समुचित व्यवस्था किहा जाई।
- जोखिम में रही, सामाजिक औ पारिवारिक बहिष्करण में परी साथै हिंसा पीडित महिला कै पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण कई के स्वावलम्बी बनावा जाई।
- प्रजनन अवस्था में जरुरी सेवा, सुविधा उपभोग कै सुनिश्चितता किहा जाई।
- बालबच्चा कै पालन पोषण, परिवार कै देखभाल जइसन काम औ योगदान का आर्थिक रूप में मूल्यांकन किहा जाई।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासी के पहिचान कई के बसोबास खातिर, घर घडेरी औ जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन या रोजगारी कै व्यवस्था कइ कै पुनःस्थापना किहा जाई।
- आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदाय कै रहि हैं।
- प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खातिर उम्मेदवारी देत के महिला का समेत समावेश कई कै बन्द सुची तयार किहा जाई।
- संघीय संसद औ प्रदेश सभा में निर्वाचित होय वाले कुल सदस्य मध्ये कम्ती में एक तिहाइ महिला सदस्य रहैं कै किसिम से सुनिश्चित किहा गा है।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में तीन जनी महिला निर्वाचित होय के औ मनोनीत करत के कम्ती में एक जनी महिला समावेश किहा जइहैं।
- प्रतिनिधि सभा कै सभामुख औ उपसभामुख मध्ये एक औ राष्ट्रिय सभा कै अध्यक्ष औ उपाध्यक्ष मध्ये एक जनी महिला रहि हैं।
- प्रदेश सभामुख या प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक जनी महिला रहि हैं।
- गावँ कार्यपालिका औ नगर कार्यपालिका में चार जनी महिला सदस्य रहि हैं।
- जिला समन्वय समिति में कम्ती में तीन जनी महिला रहि हैं।
- गावँपालिका औ नगरपालिका के हरेक वडा से कम्ती में दुई जनी महिला कै प्रतिनिधित्व होय के हिसाब से गाउँसभा औ नगरसभा कै गठन होई।
- राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकाय के रुप में रही औ वोकर अध्यक्ष औ सदस्य महिला रहि हैं।
- राष्ट्रिय महिला आयोग जरुरत के अनुसार प्रदेश में कार्यालय स्थापना कई सकत है।
- नेपाली सेना में महिला कै समेत प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधारपर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक निकाय औ अन्य निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।

४.२ **दलित के अधिकार सम्बन्ध में**

- सब किसिम कै जातीय छुवाछूत कै अन्त्य किहा जाई।
- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करब राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति,धर्म,वर्ण, जात,जाति या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परी महिला, दलित, लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- कवनो व्यक्ति का उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय या शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो निजी तथा सार्वजनिक स्थान पर कवनो किसिम कै छुवाछूत या भेदभाव नाही किहा जाई।
- कवनो वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन या वितरण करत के वइसन वस्तु, सेवा या सुविधा कवनो खास जात या जाति के व्यक्ति का खरीद या पावै से रोक लगावै या वइसन वस्तु, सेवा या सुविधा कवनो खास जात या जाति के व्यक्ति का भर बिक्री वितरण या प्रदान नाही किहा जाई।
- उत्पत्ति, जात, जाति या शारीरिक अवस्था के आधार पर कवनो व्यक्ति या समुदाय का उच्च या नीच दर्सावै, जात, जाति या छुवाछूत के आधार पर सामाजिक भेदभाव का न्यायोचित ठानै या छुवाछूत औ जातीय उच्चता या घृणा पर आधारित विचार कै प्रचार प्रसार करै या जातीय विभेद का कवनो किसिम से प्रोत्साहन करै के नाही मिली।
- जातीय आधार पर छुवाछूत कइ के या न कइ के कार्यस्थल पर कवनो किसिम से भेदभाव करै के नाही मिली।
- सब किसिम कै छुवाछूत तथा भेदभाव जन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध के रुप में दण्डनीय रही औ पीडित का क्षतिपूर्ति दिहा जाई।
- दलित का राज्य के हरेक निकाय में समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त के आधार पर सहभागी कराया जाई।
- दलित समुदाय का अपने परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप औ प्रविधि कै प्रयोग, संरक्षण औ विकास करै कै अधिकार रही।
- सार्वजनिक सेवा लगायत कै रोजगारी के अन्य क्षेत्र में दलित समुदाय कै सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व औ सहभागिता खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- दलित विद्यार्थी का प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षा कै व्यवस्था किहा जाई।
- प्राविधिक औ व्यावसायिक उच्च शिक्षा में दलित खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- दलित समुदाय का स्वास्थ्य औ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करै कै विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- दलित समुदाय का परम्परागत पेशा से सम्बन्धित आधुनिक व्यवसाय में ऊ लोग का प्राथमिकता दइ कै वकरे खातिर जरुरी सीप औ स्रोत उपलब्ध करावा जाई।
- भूमिहीन दलित का एक बेर जमीन उपलब्ध कराय जाई औ आवासविहीन दलित का बसोबास कै व्यवस्था किहा जाई।
- दलित समुदाय का मिला सुविधा दलित महिला, पुरुष औ सब दलित समुदाय का समानुपातिक रूप में मिलै के हिसाब से न्यायोचित वितरण किहा जाई।
- सामाजिक रूप से पीछे परी महिला, दलित समेत समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति औ संस्कार के नांव पर होयवाला सब किसिम कै विभेद, असमानता, शोषण औ अन्याय कै अन्त्य किहा जाई।
- हरवाह, चरवाह, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी कै पहिचान कई कै बसोबास खातिर घर घडेरी औ जीविकोपार्जन खातिर कृषियोग्य जमीन या रोजगारी कै व्यवस्था कइ कै पुनःस्थापना किहा जाई।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत के परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ के खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय देत के सब लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर के आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एक मधेशी आयोग रही।
- नेपाली सेना में मधेशी समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।

४.४ **आदिवासी जनजाति के अधिकार सम्बन्ध में**

- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई।
- जातीय, क्षेत्रीय औ भाषिक विभेद कै अन्त्य किहा जाई।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई,
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े आदिवासी, आदिवासी जनजाति लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास खातिर कानून बमोजिम कै विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का कानून बमोजिम अपने मातृभाषा में शिक्षा पावै औ वकरे खातिर विद्यालय औ शैक्षिक संस्था खोलै औ सञ्चालन करै कै हक रही।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का अपने भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा कै संवर्धन औ संरक्षण करै के हक रही।
- सामाजिक रूप से पीछे परे, आदिवासी, आदिवासी जनजाति समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- राष्ट्रिय सम्पदा कै रुप में रहा कला, साहित्य औ सङ्गीत के विकास में जोड़ दिहा जाई।
- समाज में विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कार के नांव पर होयवला सब किसिम कै विभेद, असमानता, शोषण औ अन्याय कै अन्त्य किहा जाई।
- देश के सांस्कृतिक विविधता कायम राखत समानता एवं सहअस्तित्व के आधार पर तमाम जातजाति औ समुदाय के भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र औ सम्पदा कै संरक्षण औ विकास किहा जाई।
- आदिवासी जनजाति कै पहिचान सहित सम्मानपूर्वक जियै पावैक अधिकार सुनिश्चित करैक अवसर तथा लाभ करती विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- आदिवासी जनजाति से सरोकार राखै वाले निर्णय में ऊ लोगन का सहभागी कराय जाई।
- आदिवासी जनजाति औ स्थानीय समुदाय कै परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा औ अनुभव का संरक्षण औ संवर्धन किहा जाई।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदाय के रहि हैं।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होयवाला प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा कै निर्वाचन करती राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी आधार पर किहा जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में नेपाल में एक आदिवासी जनजाति आयोग रही।
- नेपाली सेना में आदिवासी जनजाति समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।

४.५ **पिछड़ा वर्ग के अधिकार सम्बन्ध में**

- सामाजिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै खातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परा पिछड़ा वर्ग लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण औ विकास खातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई ।
- सामाजिक रूप से पीछे परे पिछड़ा वर्ग समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- आर्थिक, सामाजिक,सांस्कृतिक अवसर औ लाभ कै समान वितरण के साथै वइसने समुदाय के भित्तर के विपन्न नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण के साथै विकास कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ खातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय प्रदान करत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर कै आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन खातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- पिछड़ा वर्ग समेत के हक अधिकार कै संरक्षण खातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था।
- नेपाली सेना में पिछड़ा वर्ग समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।

४.६ **सीमान्तीकृत समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में**

- राजनीतिक, आर्थिक औ सामाजिक रूप से पीछे परे , विभेद औ उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटता के नाते से सेवा सुविधा कै उपभोग न कई पावे वाले या मानव विकास के स्तर से न्यून स्थिति में रहा समुदाय का सीमान्तीकृत समुदाय के रुप में परिभाषित किहा गा है।

बाँकी पृष्ठ १०मा

पृष्ठ ९ को बाँकी

- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै स्वातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण होई।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे सीमान्तीकृत समुदाय लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास स्वातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- सामाजिक रूप से पीछे परे सीमान्तीकृत समुदाय समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ स्वातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय देत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर कै आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता दिहा जाई।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन स्वातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- सीमान्तीकृत समुदाय समेत के हक अधिकार कै संरक्षण करै स्वातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पदपर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।

४.७ अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार सम्बन्ध में

- निर्धारित प्रतिशत से कम जनसंख्या रहा जातीय, भाषिक औ धार्मिक समूह का अल्पसंख्यक के रुप में परिभाषित किहा गा है।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै स्वातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण होई ।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास करती कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- सामाजिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- आपन पहिचान कायम राखि कै सामाजिक औ सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग कै अवसर औ लाभ स्वातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- उत्पीडित औ पिछड़ा क्षेत्र के नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास औ आधारभूत जरुरत परिपूर्ति कै अवसर औ लाभ स्वातिर विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय देत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर के आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता प्रदान किहा जाई।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जने अपांगता रहा व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित होय कै सुनिश्चित किहा गा है।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन स्वातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी सिद्धान्त के आधारपर किहा जाई।
- गावँ कार्यपालिका में दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से गावँ सभा से निर्वाचित भवा दुईजने सदस्य रहैक सुनिश्चित किहा गा है।
- नगर कार्यपालिका में दलित या अल्पसंख्यक समुदाय से नगर सभा से निर्वाचित भवा तीनजने सदस्य रहैक सुनिश्चित किहा गा है।
- जिला समन्वय समिति में दलित या अल्पसंख्यक से जिला सभा से निर्वाचित भवा कम्ती में एक जने सदस्य रहैक सुनिश्चित किहा गा है।
- अल्पसंख्यक समुदाय समेत के हक अधिकार कै संरक्षण करै स्वातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधारमा नियुक्ति किहा जाई।

४.८ थारु के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य किहा जाई ।
- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई।
- मौलिक हक औ मानव अधिकार के मूल्य औ मान्यता का सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे थारू लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास स्वातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का कानून बमोजिम अपने मातृभाषा में शिक्षा पावै औ वकरे स्वातिर विद्यालय औ शैक्षिक संस्था खोली औ चलावै कै हक रही।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का अपने भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा कै संवर्धन औ संरक्षण करै कै हक रही।
- सामाजिक रूप से पीछे परा थारु समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- मुक्त कम्हलरी, भूमिहीन, सुकुम्बासी कै पहिचान कड के बसोबास स्वातिर घर घडेरी औ जीविकोपार्जन स्वातिर कृषियोग्य जमीन या रोजगारी कै व्यवस्था करत वन कै पुनःस्थापना किहा जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एक थारु आयोग कै व्यवस्था रही।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या या समुदाय के रहि हैं।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होय वाले प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन स्वातिर राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी आधार पर किहा जाई।
- संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था किहा जाई।
- नेपाली सेना में थारु कै समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि के समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- जनसंख्या कै घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायात कै सुगमता, सामुदायिक औ सांस्कृतिक पक्ष का समेत ध्यान राखत काम करै स्वातिर निर्वाचन क्षेत्र कै निर्धारण होई।

४.९ मुस्लिम के अधिकार सम्बन्ध में

- वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, विभेद अन्त्य किहा जाई ।
- समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई।
- मौलिक हक औ मानव अधिकार कै मूल्य औ मान्यता सुनिश्चित करै कै राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही।
- सामान्य कानून के प्रयोग में उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक आस्था या अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे परे मुस्लिम लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास स्वातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का कानून बमोजिम अपने मातृभाषा में शिक्षा पावै औ वकरे स्वातिर विद्यालय औ शैक्षिक संस्था खोली औ चलावै कै हक रही।
- नेपाल में बसोबास करै वाले हरेक नेपाली समुदाय का अपने भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता औ सम्पदा कै संवर्धन औ संरक्षण करै कै हक रही।
- सामाजिक रूप से पीछे परे मुस्लिम समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- मुस्लिम समुदाय समेत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवसर औ लाभ कै समान वितरण औ वइसने समुदाय भित्तर के विपन्न नागरिक कै संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण औ विकास कै अवसर तथा लाभ करती विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- संवैधानिक निकाय के रुप में एक मुस्लिम आयोग रही।
- राज्य कै संरचना करत के समानता पर आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व औ पहिचान कै संरक्षण किहा जाई।
- राष्ट्रपति औ उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग या समुदाय के रही हैं।
- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम होयवाला प्रतिनिधि सभा औ प्रदेश सभा के निर्वाचन करती राजनीतिक दल से उम्मेदवारी देत के समावेशी आधार पर किहा जाई।
- नेपाली सेना में मुस्लिम समेत कै प्रवेश समानता औ समावेशी सिद्धान्त के आधार पर किहा जाई।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।

४.१० अपांगता रहा व्यक्ति के अधिकार सम्बन्ध में

- सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै के राज्य कै राजनीतिक उद्देश्य रही।
- आर्थिक समानता, समृद्धि औ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करै स्वातिर समानुपातिक समावेशी औ सहभागितामूलक सिद्धान्त के आधार पर समतामूलक समाज कै निर्माण किहा जाई।
- सामाजिक सुरक्षा औ सामाजिक न्याय प्रदान करत के हरेक लिंग, क्षेत्र औ समुदाय के भित्तर के आर्थिक रूप से विपन्न का प्राथमिकता प्रदान करै के राज्य कै सामाजिक न्याय औ समावेशीकरण सम्बन्धी नीति रही।
- सामान्य कानून के प्रयोग में शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, या यही किसिम से अन्य कवनो आधार पर भेदभाव नाही किहा जाई।
- सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पीछे, अपांगता रहा व्यक्ति, लगायत नागरिक कै संरक्षण, सशक्तीकरण या विकास स्वातिर कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था किहा जाई।
- अपांगता रहा औ आर्थिक रूप से विपन्न नागरिक का कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पावै के हक रही।
- दृष्टिविहीन नागरिक का बेललिपि औ बहिर औ स्वर या बोलाइ सम्बन्धी अपांगता रहा नागरिक का सांकेतिक भाषा के माध्यम से कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पावै के हक रही।
- सामाजिक रूप से पिछे परे अपांगता रहा व्यक्ति समेत का समावेशी सिद्धान्त के आधार पर राज्य के निकाय में सहभागी होय पावै कै सामाजिक न्याय कै हक रही।
- अपांगता रहा नागरिक का विविधता के पहिचान सहित मर्यादा औ आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन करै पावै कै औ सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा में समान पहुँच कै हक रही।
- आर्थिक रूप से विपन्न, अशक्त औ असहाय अवस्था में रहा, अपांगता रहा नागरिक का सामाजिक सुरक्षा कै हक रही।
- राष्ट्रिय सभा में प्रत्येक प्रदेश से कम्ती में एक जने अपांगता रहा व्यक्ति या अल्पसंख्यक निर्वाचित होयक सुनिश्चित किहा गा है।
- अपांगता रहा व्यक्ति समेत कै हक अधिकार कै संरक्षण, सशक्तिकरण, विकास औ सम्वृद्धि स्वातिर संवैधानिक आयोग के रुप में राष्ट्रिय समावेशी आयोग कै व्यवस्था किहा गा है।
- नेपाली राजदूत औ विशेष प्रतिनिधि कै समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।
- संवैधानिक अंग औ निकाय के पद पर समावेशी सिद्धान्त के आधार पर नियुक्ति किहा जाई।

- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय